

23.12.2017

आवेदक शैलेन्द्र सिंह द्वारा श्री आर.एस. तोमर अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघैल अतिरिक्त अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

पुलिस थाना एण्डौरी के अपराध क्रमांक 108 / 17 अंतर्गत धारा 456 एवं 376 भादस की कैफियत व केस डायरी प्राप्त।

आवेदक/अभियुक्त शैलेन्द्र के जमानत आवेदन के साथ उसके पिता दीवान सिंह का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथपत्र एवं आवेदन में यह व्यक्त किया गया है कि यह आवेदक का प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दप्रस है। इस प्रकृति का कोई अन्य आवेदन समक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही निराकृत हुआ है और न ही विचाराधीन है।

आवेदक शैलेन्द्र सिंह के जमानत आवेदन पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि पुलिस थाना एण्डौरी के द्वारा विरोधियों की झूठी एवं असत्य घटना के आधार पर आवेदक के विरुद्ध थाना हाजा के अपराध क्रमांक 108 / 17 धारा 456, 376 भा. द.वि. का पंजीबद्ध कर आवेदक को दिनांक 25.12.17 को गिरफ्तार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। जबकि तथाकथित अपराध से आवेदक को कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदक को झूठा फसाया गया है वह निर्दोष है।

यदि तथाकथित झूठे अपराध में आवेदक को अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया तो उसके परिवार के समक्ष भरण पोषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जावेगी।

आवेदक को कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तथा उसके फरार होने एवं साक्ष्य को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन की ओर से घोर विरोध किया गया

है। आवेदन रिनस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है। उभयपक्ष को सुने जाने एवं कैफियत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त शैलेन्द्र सिंह के द्वारा दिनांक 24.11.2017 की रात्रि 10:30 बजे के लगभग ग्राम ऐनो फरियादिया कुमारी प्रियंका रावत के घर में घुसकर बलपूर्वक उसके कपड़े उतारकर उसके साथ बलात्कार किया है।

मामले के उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं आवेदक के विरुद्ध आक्षेप को देखते हुए तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक का जमानत आवेदक निरस्त किया गया।

आदेश की प्रति के साथ केस डायरी वापिस की जावे।

प्रकरण का नतीजा दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

अपर सत्र न्यायाधीश गोहद  
जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)